पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2023 / 143

दिनांक 10 JAN 2024

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
प्रो. बृजमोहन मिश्रा इंस्टी. ऑफ मेडिकल
एण्ड टेक्निकल साईसेस,
झिरी, बुरहानपुर (म.प्र.)

विषयः–बी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यकम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिये प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06 / 04 / 2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11 / 04 / 2023 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा दिये गये एन.सी.टी.ई. मा.पदण्डों की पूर्ति बाबद् व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने संबंधी 100/– रू. के नान ज्युडिशिनल स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र, चेक लिस्ट एवं जमा वार्षिक सम्बद्धता शुल्क तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अनुमति पत्र के आधार पर बी.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यकम की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण सत्र 2023–24 के लिये निम्नांकित के अध्याधीन प्रदान किया जाता हैः–

1. महाविद्यालय की सीट संख्या नवीन एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन–2014 के अनुसार बी.एड. में 50 छात्र (एक बेसिक युनिट, प्रत्येक यूनिट 50 छात्र) की रहेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा एन.सी.टी.ई. रेंग्युलेशन–2014 के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें। एन.सी.टी.ई. रेंग्युलेशन–2014 के मापदण्ड के अनुसार सभी शिक्षक कॉलेज कोड–28 में नियुक्त किये जावें।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
4. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in.** पोर्टल पर प्रति वर्ष महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
5. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।
6. **WP No. 9089/2016** में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक **01-08-2018** के परिपालन में जन शिक्षा समिति विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य **I.L.R. (2008) MP 706**, सुभाष रहंगडाले विरूद्ध **N.C.T.E. (WP No. 6146/2008)** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण आदर्श शिक्षा समिति विरूद्ध सुभाष रहंगडाले **2012 (2) SCC 425** में दिये गये निर्देशों का महाविद्यालय द्वारा पूर्ण पालन सूनिश्चित किया जावें एवं इसकी सम्पर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठा. क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2023 / 143

दिनांक 10 JAN 2024

प्रतिलिपिः–

1. उप–कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. विभागाध्यक्ष, शिक्षा अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., खण्डवा रोड़, इन्दौर।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)